प्रेस नोट दिनांक 12—01—2021

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 07 अभियुक्तों के विरुद्व की गई जिला बदर की कार्यवाहीः—

अवगत कराना हैं, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 07 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् हैंः—

- अरशद पुत्र नासीर निवासी ग्राम बदकौरा थाना बेहट, सहारनपुर।
- सोनू उर्फ लच्छी पुत्र सफीक निवासी फूल कालोनी कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर।
- इमरान पुत्र छोटा उर्फ सादा निवासी ग्राम संसारपुर थाना बेहट, सहारनपुर।
- इमरान पुत्र नासिर निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
- शफीक पुत्र बिच्छू निवासी ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- अरशद पुत्र रिजवान निवासी कमेला कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
- कलवा उर्फ महमूद पुत्र रेल्लु उर्फ जफर निवासी ग्राम खिड़का भटकवा थाना बेहट, सहारनपुर।

-प्रेस विज्ञप्तिः-

- **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—15 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः —**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2015 को वादीया श्रीमति सीलू पत्नी पवन नि0 मौ0 हलमासपुर थाना मण्डी जिला मु0नगर के पति को अभियुक्त राजपाल सैनी पुत्र ज्योतिराम नि0 गणपति विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 246/2015 धारा 302 भादवि में थाना जनकपुरी पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 184/2016 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—15 स0पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—15 स0पुर द्वारा दिनांक 12.01.2021 को अभियुक्त राजपाल सैनी पुत्र ज्योतिराम को मु0अ0स0 246/2015 धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।